मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 1641 / योजना / NR–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 22/02/2010

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला रीवा, ग्वालियर एवं विदिशा

2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत रीवा, ग्वालियर एवं विदिशा
मध्यप्रदेश

विषयः सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत शेष बचे खाद्यान्न के निराकरण के संबंध में।

संदर्भः 1. कलेक्टर जिला ग्वालियर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 12699 दिनांक 17.11.09
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का पत्र क्र. 4251 दिनांक 18.12.09
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा का पत्र क्र 11210 दि. 26.12.09

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत विलय हो जाने के फलस्वरूप एसजीआरवाए योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के वितरण के संबंध में लेख किया गया है।

उपरोक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. जिन जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश लागू हुई है, वहां पूर्व से प्रचलित एनएफएफडब्ल्यूपी तथा एसजीआरवाए योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश में समाहित किया गया है। इस अनुसार एसजीआरवाए एवं एनएफएफडब्ल्यूपी योजना की शेष राशि तथा खाद्यान्न को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंश के रूप में मान्यता दी गई है।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची 2 के पैरा 31 के प्रावधान अनुसार मजदूरी भुगतान नकद एवं खाद्यान्न के रूप में किए जाने का प्रावधान है। अतः जिलों में एसजीआरवाए एवं एनएफएफडब्ल्यूपी का शेष खाद्यान्न को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत मजदूरी भुगतान के रूप में किया जावें।

3. यह सुझाव दिया जाता है कि खाद्यान्न का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जावें जहां कुपोषण की समस्याएं अधिक पायी जाती है।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें कि वितरण करने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता शासन के निर्धारित मानक अनुसार होना चाहिए।

13-2-10
(ए. के. सिंह) 22.2.10
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

P.T.O.

Letter AKS 2010 New

पृ. क्र. 1642 / योजना / NR–1 / NREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 22/02/2010

प्रतिलिपि–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक / कलेक्टर जिला समस्त की ओर सूचनार्थ।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (समस्त)

22.2.10

(ए. के. सिंह) 22.2.10

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

मुख्यालय, भोपाल